संख्याः 938/XXIV-3/17/03(22)2012

प्रेषक,

महिमा,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3

देहरादून, दिनांकः 18 सितम्बर, 2017

विषयः वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुसूचित जनजाति उपयोजनान्तर्गत राजकीय इण्टर कॉलेज कथियान (भटाड़), रा0इ0का0 कचटा व रा0इ0का0 पंजिटिलानी, जनपद देहरादून के चालू भवन निर्माण कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 5ख(2)/8679/टी0एस0पी0/2017–18, दिनांकः 24 जून, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय अनुसूचित जनजाति उप योजनान्तर्गत (टी0एस0पी0) चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में निम्नांकित तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित भवन निर्माण के चालू कार्यों हेतु स्तम्भ–5 में अवशेष धनराशि के सापेक्ष संगत योजना की मानक मद में प्राविधानित बजट के आधार पर स्तम्भ–6 में उल्लिखित धनराशि रू0 46.00 लाख (रूपये छियालीस लाख मात्र) की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में आपके निर्वतन पर रखते हुए नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः–

(धनराशि रू0 लाख में)

क0 सं0	विद्यालय का नाम	स्वीकृत लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवशेष धनराशि	वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्वीकृति हेतु धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	राजकीय इण्टर कॉलेज कथियान (भटाड़)	162.88	50.00	112.88	20.00
2.	राजकीय इण्टर कॉलेज, कचटा, देहरादून	129.62	60.20	69.42	12.00
3.	राजकीय इण्टर कॉलेज, पंजिटिलानी, जनपद देहरादून	169.83	93.00	76.83	14.00
योगः–		462.33	203.20	259.13	46.00

(1) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/XXVII(1)/2017, दिनांकः 30 जून, 2017 में प्रदत्त समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) धनराशि आहरण एवं व्यय करने से पूर्ण यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि वर्णित उपर्युक्त विद्यालय के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में स्थित है तथा योजना अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्राम की सीमान्तर्गत ही है।

(3) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं,

अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

(4) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(5) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए। स्वीकृत धनराशि का शीघ्र उपयोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण–पत्र तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(7) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(8) विस्तृत आंगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु संबंधित अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(9) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047/XIV–219(2006), दिनांकः 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का, कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन कराना सनिश्चित किया जाय।

(10) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 में उल्लिखित नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय।

(11) स्वीकृत विस्तृत आंगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आंगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

(12) कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त कार्य के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 475/XXVII(07)2008, दिनांकः 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्तान्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–31 के अधीन लेखा शीर्षक 4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 01– सामान्य शिक्षा, 00– आयोजनागत, 796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना, 03– माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण/जीर्णोद्धार, 24–वृहद निर्माण कार्य की मानक मद के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/XXVII(1)/2017, दिनांकः 30 जून, 2017 में प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अनुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(महिमा)
उप सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 938(1) /XXIV-3/17/03(22)2012, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.महालेखाकार, (ऑडिट) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2.महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. जिलाधिकारी देहरादून।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवा यें, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।
8. बज़ट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
9. संबंधित निर्माण एजेन्सी।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महिमा)
उप सचिव।